>

Title : Need to declare the areas inhabited by civilians under Morar cantonment as a civil area in Gwalior, Madhya Pradesh.

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (ग्वालियर): देश के अंतर्गत 62 छावनी क्षेत्र हैं । इनमें से मुरार एक मात्र ऐसा छावनी क्षेत्र है जिसके नागरिक क्षेत्र को " सिविल एरिया " अभी तक घोÂि◌ात नहीं किया गया है।

वर्ष 1956 में छावनी परिÂ◌ाद मुरार की स्थापना हुई थी, वÂ◌ाऩ 1958 में छावनी क्षेत्र की असैनिक आबादी के आधार पर क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किये जाने की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित भी की गई थी। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने छावनी क्षेत्र मुरार के सैनिक, असैनिक क्षेत्र तथा रक्षा संपदा का सर्वे करवाकर निदेशक, रक्षा भूमि तथा छावनी रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने जी0 आर प्लान बनाकर अंतिम रूप से दिनांक 30.12.83 को अनुमोदित कर दिया था, इस प्लान में सैनिक, असैनिक भूमि का स्पÂट विवरण

है।

छावनी परिÂषद ने अपने संकल्प कमांक 2 दिनांक 30.12.83 एवं संकल्प क्रमांक 25 दिनांक 04.12.99 से छावनी क्षेत्र के नागरिक क्षेत्र को छावनी अधिनियम की धारा 43-ए क तहत सिविल एरिया घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया है।

संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली छावनी परिÂ◌ाद मुरार, ग्वालियर के नागरिक क्षेत्र को "सिविल एरिया" घोषित किए जाने हेतु मेरे पूर्व पत्र दिनांक 18.08.2008 एवं 03.10.2008 द्वारा तत्कालीन रक्षा सचिव भारत सरकार नई दिल्ली से अनुरोध किया गया था। परन्तु अभी तक कार्यवाही अपेक्षित है।

मुरार छावनी का नागरिक क्षेत्र सिविल ऐरिया घोषित न होने के कारण अन्य छावनी क्षेत्रों की भांति मूलभूत सुविधायें जैसे पेयजल, सीवर लाईन, सड़क, विद्युत व्यवस्था एवं शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पा रही है।

ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मुरार छावनी के नागरिक क्षेत्र को सिविल एरिया घोÂि◌ात कर उसका गजट नोटिफिकेशन कराये जाने हेतु माननीय केन्द्रीय रक्षामंत्री महोदय से आग्रह है।